संख्या / /2015/XXVII(9)/स्टाम्प–42/2008 T.C

प्रेषक,

श्रीधर बाबू अद्दांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तराखण्ड देहरादून।

वित्त अनुभाग–9 देहरादूनः दिनांक – 10 सितम्बर, 2015

विषयः– **ई–स्टाम्पिंग प्रणाली में कतिपय संशोधन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के पत्र दिनांक 27 जुलाई, 2015 (**छायाप्रति संलग्न**) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों द्वारा सृजित ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र की प्रविष्टियों में हुयी त्रुटि में सुधार किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों द्वारा सृजित ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र की प्रविष्टियों में हुयी त्रुटि में सुधार निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य किया जाता हैः–

(1) ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र में ई–स्टाम्प पत्र के केता का नाम, प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, स्टाम्प शुल्क के भुगतान करने वाले का नाम, सम्पत्ति का विवरण आदि की प्रविष्टियों का उल्लेख किया जाता है। अतः यदि प्राधिकृत संग्रह द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी श्रेणी में उल्लिखित प्रविष्टियों में कोई त्रुटि हो जाती है, तो प्राधिकृत संग्रह केन्द्र या ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र के केता/ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र में उल्लिखित किसी पक्ष द्वारा अपनी पहचान सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स आदि) तथा मूल प्रमाण–पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र सृजित करने वाले प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के प्रभारी के समक्ष आवेदन किये जाने पर प्रभारी द्वारा पारित आदेश से केवल किसी एक श्रेणी में त्रुटि का सुधार किया जायेगा, किन्तु किसी सृजित ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र में केवल एक बार ही संशोधन किया जा सकेगाः–

श्रेणी 'क'– केता /प्रथम पक्ष/द्वितीय पक्ष/स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने वाले का नाम

श्रेणी 'ख'–सम्पत्ति का विवरण/भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची–1 –बी में वर्णित अनुच्छेद

(2) ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र में उपरोक्त श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में वर्णित प्रविष्टियों में की गयी त्रुटियों का संशोधन उसी समय तक अनुमन्य किया जायेगा, जब तक कि ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र को "लाक्ड" (Locked) न किया गया हो।

कमशः..2..

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त यदि सृजित ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र में "स्टाम्प शुल्क/प्रतिफल धनराशि " की प्रविष्टि में कोई संशोधन किया जाना आवश्यक हो, तो उक्त त्रुटि का संशोधन केवल प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के प्रभारी के आवेदन पत्र पर स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा पारित अनुमति/आदेश के उपरान्त ही प्राधिकृत संग्रह केन्द्र द्वारा किया जा सकेगा, किन्तु उक्त संशोधन की अनुमति स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा तब तक ही प्रदान की जा सकेगी, जब तक कि सृजित ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र की राशि राजकीय कोष में स्थानान्तरित नही की गयी हो।

(4) त्रुटि का सुधार मूल ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र में नही किया जायेगा, बल्कि संशोधित प्रमाण–पत्र, मूल प्रमाण–पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके, कि मूल प्रमाण–पत्र में उल्लिखित प्रविष्टि में की गयी त्रुटि में संशोधन किया गया है।

(5) ई–स्टाम्प प्रमाण पत्रों में संशोधन किये जाने हेतु प्राप्त होने वाले समस्त आवेदन पत्रों को सम्बन्धित प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों द्वारा संरक्षित किया जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव।

संख्या 203 (1) /2015/XXVII(9)/स्टाम्प–42/2008 T.C/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः श्री पियूष कनौजिया एरिया मैनेजर, स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 (SHCIL) को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव।

ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र में संशोधन किये जाने के लिये आवेदन

आवेदन का दिनांक–

प्राधिकृत संग्रह केन्द्र का नाम / कोड संख्या	
शाखा / जनपद का नाम	

संशोधन के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति का विवरण–(कृपया उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाईयें)

केता	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	प्राधिकृत संग्रह केन्द्र का प्रतिनिधि

संशोधन के लिये प्रस्तुत ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र का विवरण

प्रमाण–पत्र संख्या	
प्रमाण –पत्र के निर्गम की तिथि	

कृपया संशोधित की जाने वाली प्रविष्टि पर सही का चिन्ह लगायें।

(टिप्पणी– संशोधन निम्नलिखित श्रेणियों में से केवल किसी एक श्रेणी में उल्लिखित प्रविष्टियों में ही किया जा सकता है)।

श्रेणी– 'क'

केता	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने वाले का नाम

श्रेणी 'ख'–

सम्पत्ति का विवरण	भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची–1–बी में वर्णित अनुच्छेद

संशोधित की जाने वाली प्रविष्टि का विवरण–

वर्तमान प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि

नोट–

1– संशोधन मात्र ऐसे ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र में किया जाना अनुमन्य है, जो कि पंजीकृत दस्तावेज श्रेणी के अन्तर्गत सृजित किये गये हों तथा संशोधन हेतु प्रस्तुत ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र में वर्णित प्रविष्टियों में की गयी त्रुटियों का संशोधन उसी समय तक अनुमन्य होगा, जब तक कि ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र को "लाक्ड" (Locked) न किया गया हो।

2– आवेदक ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र में संशोधन किये जाने हेतु अपनी पहचान सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स आदि) तथा मूल प्रमाण–पत्र के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।

3– किसी ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र में संशोधन मात्र एक बार ही किया जा सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर	स्वीकृतकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम–	प्राधिकृत संग्रह केन्द्र की मोहर सहित
पता–	नाम–
सम्पर्क / दूरभाष नं0–	पदनाम–
	इम्पलाई कोड /
	पंजीकरण संख्या–